

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, शाहपुरा जिला भीलवाड़ा (राज0)  
पीठासीन अधिकारी श्रीमती शिल्पा सिंह, आई0ए0एस0

प्रकरण संख्या - 125 /2021

उनवान

शाहबुद्दीन पुत्र अली मोहम्मद रेगरेज निवासी शाहपुरा तहसील शाहपुरा

- प्रार्थी

बनाम

- 1- श्री अशोक पुत्र हनुमान शर्मा निवासी शाहपुरा तहसील शाहपुरा
- 2- श्रीमति मुमताज बानू पत्नी आलम अमीर पठान निवासी शाहपुरा तहसील शाहपुरा
- 3- श्री आवासीय अभियन्ता राजस्थान आवासन मण्डल खण्ड शाहपुरा आवासीय कोलोनी अरिहन्त भवन के पास सेक्टर सी0 सुभाष नगर भीलवाड़ा

- विपक्षीगण

उपस्थिति :- श्री मोहम्मद शरीफ  
अधिवक्ता प्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट, 1956

-:: निर्णय ::-

दिनांक- 19/7/2021

प्रार्थी की ओर से प्रार्थना अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत विरुद्ध विपक्षीगण के प्रस्तुत किया गया, जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है - प्रार्थी ग्राम शाहपुरा तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा में स्थित आराजी नम्बर 8212 रकबा 0.54 है0 कुल किता 1 रकबा 0.54 हैक्टेयर का प्रार्थी खातेदार काश्तकार है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण पड़ोसी है। प्रार्थी एवं विपक्षीगण के मध्य आराजी के सीमाचिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमा सम्बन्धी विवाद उत्पन्न होता रहता है। अतः पत्थरगढी करवाई जावे।

प्रकरण पंजीबद्ध किया जाकर विपक्षीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। विपक्षीगण संख्या 1, 2 व 3 बावजूद सूचना उपस्थित नहीं होने से उनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही की गयी। बहस अभिभाषक प्रार्थी सुनी गई। हमने पत्रावली का एवं प्रस्तुत खाते की नकल जमाबन्दी ग्राम शाहपुरा संवत् 2076 से 2079 तक का अवलोकन किया। उपरोक्त वर्णित आराजीयात् का प्रार्थी खातेदार दर्ज होकर अपनी आराजीयात् की पत्थरगढी कराना चाहता है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर मौजा शाहपुरा में स्थित प्रार्थी की उपरोक्त खातेदारी की आराजीयात् किता 1 रकबा 0.54 हैक्टेयर की पुरखा पत्थरगढी पक्षकारान् की मौजूदगी में अगर मौके पर अन्य कोई विवाद न हो तो व कोई प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन न हो तो कब्जे में हस्तक्षेप नहीं करते हुये पत्थरगढी किये जाने हेतु तहसीलदार शाहपुरा को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। पत्थरगढी हेतु कमिश्नर फीस 500/- रूपये कायम किये जाते हैं, जो प्रार्थी से तहसीलदार शाहपुरा मौके पर प्राप्त करें। पत्थरगढी मौका पर्चा पेश करें। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम से हो। बाद तफसील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 19/7/2021 को सरे ईजलास सुनाया गया।



प्रतिलिपि :- तहसीलदार शाहपुरा के पास भेजकर लेख है कि मुताबिक आदेश पक्षकारान् की मौजूदगी में नियमानुसार पत्थरगढी की जाकर पालना रिपोर्ट शीघ्र भिजावे।

(शिल्पा सिंह IAS)  
उपखण्ड अधिकारी  
एवं सहायक कलेक्टर  
उपखण्ड अधिकारी  
शाहपुरा जिला भीलवाड़ा  
एवं सहायक कलेक्टर  
शाहपुरा (भीलवाड़ा) राज.

उपखण्ड अधिकारी  
एवं सहायक कलेक्टर  
शाहपुरा जिला भीलवाड़ा  
उपखण्ड अधिकारी  
एवं सहायक कलेक्टर  
शाहपुरा (भीलवाड़ा) राज.